



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092025-265909
CG-DL-E-03092025-265909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3913]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 3913]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4018(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, इसके द्वारा मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचनाओं, का.आ. 5695(अ) दिनांक 07.12.2022 द्वारा प्रकाशित, नीचे दिए गए अनुसूची के अनुसार निम्नलिखितमें संशोधन करती है।

अनुसूची

क्रमांक	संशोधित की जाने वाली सामग्री	विषय-सामग्री		इस रूप में संशोधित किया जाए	
	विषय का स्थान अधिसूचना का.आ.5695(अ) दिनांक 07.12.2022 के अनुसार				
1	अनुक्रमांक 1, स्तंभ-6 और स्तंभ-7	बेला	(1) मोहब्बतपुर (2) शमशाबाद	भोराज	(1) मोहब्बतपुर (2) शमशाबाद

क्रमांक	संशोधित की जाने वाली सामग्री	विषय-सामग्री		इस रूप में संशोधित किया जाए	
	विषय का स्थान अधिसूचना का.आ5695(अ) दिनांक 07.12.2022 के अनुसार				
			(3) धोसाला		(3) धोसाला
			(4) भुहरनपुर		(4) भुहरनपुर
		जयनाथ	(1) फौजपुर		(5) फौजपुर
			(2) निराला		(6) निराला
			(3) जैनाथ		(7) जैनाथ
			(4) कापरी		(8) कापरी
			(5) तारोड़ा (बी)		(9) तारोड़ा (बी)

उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में, स्तंभ (6) के समक्ष, तालुक/मंडल से संबंधित "जयनाथ" और "बेला" के स्थान पर "भोराज" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना, आदिलाबाद जिला में "राष्ट्रीय राजमार्ग-353B के आदिलाबाद-बेला सेक्शन कि.मी 0.00 से कि.मी 33.00 तक" हेतु अनुसूची।

टिप्पणी: तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-353B खंड के लिए तालुक/मंडल का नाम परिवर्तन।

[फा. सं. EE/NHP/NH353B/LA/Additional/3a/Bhoomirasi/2022]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd September, 2025

S.O. 4018(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the Gazette Notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published vide S.O. 5695(E) dated 07.12.2022 as per the schedule below.

SCHEDULE

Serial No.	Subject Matter to be amended		Subject Matter to be amended as
	Location of the subject matter in principal notification S.O. 5695(E) dated 07.12.2022.	Subject Matter	
1	Serial no. 1, Column-6 & Column-7	Bela	(1) Mohabatpur
			(2) Shamshabad
			(3) Dhoptala
			(4) Bhuharanpur
		Jainath	(1) Fouzpur
			(2) Nirala
		Bhoraj	(1) Mohabatpur
			(2) Shamshabad
			(3) Dhoptala
			(4) Bhuharanpur
			(5) Fouzpur
			(6) Nirala

Serial No.	Subject Matter to be amended		Subject Matter to be amended as
	Location of the subject matter in principal notification S.O. 5695(E) dated 07.12.2022.	Subject Matter	
		(3) Jainath	(7) Jainath
		(4) Kapri	(8) Kapri
		(5) Taroda (B)	(9) Taroda (B)

[F. No. EE/NHP/NH353B/LA/Additional/3a/Bhoomirasi/2022]

SHAIKH AMINKHAN, Director